//अति महत्वपूर्ण //

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शा0शि0/ए/01/2009/497 भोपाल,दिनांक 26/9/09

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण शिक्षा संभाग मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   शिक्षा जिला मध्यप्रदेश ।

विषयः—खेल गतिविधियों के संचालन के पुर्ननिर्धारण एवं पारदर्शी प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश ।

—00—

विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली खेल गतिविधियों के संचालन के पुर्ननिर्धारण एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु गठित राज्यस्तरीय कोर समिति की अनुशंसाओं का संचालक लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किये गये सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत की गई अनुशंसाओं को लागू करने हेतु संचालनालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार छात्रों की पढाई प्रभावित न होने का ध्यान रखते हुए निम्नानुसार निर्देशों का कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें :—

1/ शालेय स्तर पर समस्त शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 9 वीं से 10 वीं तक 03 रूपये प्रतिछात्र प्रतिमाह एवं कक्षा 11 से 12 वीं तक 05 रूपये प्रतिछात्र प्रतिमाह की दर से क्रीडा शुल्क की राशि समस्त पंजीकृत छात्र छात्राओं से वसूल की जाती है किन्तु संस्था में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी खेल गतिविधियों में सहभागिता नहीं कर पाते हैं संस्था के कुछ ही विद्यार्थी खेल गतिविधियों में संलग्न होते हैं चूंकि संस्था में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों से क्रीडा शुल्क की राशि वसूल की जाती है ऐसी स्थिति में समस्त विद्यार्थियों की किसी न किसी एक खेल में सहभागिता सुनिश्चित की जावे । इस हेतु विद्यालय स्तर पर अर्न्तकक्षा प्रतियोगितायें अनिवार्यरूप से आयोजित की जावें एवं आगामी शैक्षणिक कैलेण्डर में भी इसका उल्लेख करते हुए अनिवार्यता सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश समस्त संस्थाओं को तत्काल दें । समस्त छात्रों से उन्हें खेल विशेष की रूचि की सहमति ली जावे तथा उन्हें खेल सुविधा उपलब्ध कराई जाए । संस्था के समय विभाग चक्र में भी खेल का कालखण्ड अनिवार्यरूप से दर्शाया जावे ।

2/ विद्यालयों में कार्यरत व्यायाम शिक्षकों, उत्कृष्ठ खिलाडी कोटे से चयनित शिक्षकों एवं खेल से जुडे हुए अन्य शिक्षक संवर्गीय अमले से खेल गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कार्य न कराये जावे । विद्यालय में नियमित रूप से खेल एवं योग से संबंधित गतिविधियां संचालित हो सकें इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु प्राचार्यो को निर्देश जारी किये जावे कि वे उपरोक्तानुसार पदस्थ अमले से केवल खेल गतिविधियों का ही कार्य करावें । उक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु संस्थाओं में पदस्थ ऐसे अमले की गोपनीय चरित्रावली मे उनका खेल एवं खेल गतिविधियों के आधार पर मतांकन करें ।

3/ शालेय स्तर पर विद्यार्थियों से लिये जाने वाले क्रीडा शुल्क की राशि मे से विकास खण्ड, जिला एवं संभाग स्तर पर अंशदान लिया जाता है । इस अंशदान की राशि का उपयोग खेलकूद गतिविधियों के आयोजन के अतिरिक्त अन्य कार्यो पर भी किया जाता है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है । क्रीडा शुल्क के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग केवल खेल गतिविधियों से संबंधित प्रयोजनो पर ही किया जावे । यदि इसके विपरीत किसी अन्य प्रयोजन हेतु क्रीडा शुल्क की राशि व्यय की जाती है तो इसे वित्तीय अनियमितता मानकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं हेतु कडे निर्देश जारी किये जावे कि वे क्रीडा शुल्क के निर्धारित अंशदान की राशि प्रतिवर्ष दिनांक 20 अगस्त तक अनिवार्यरूप से भेजना सुनिश्चित करें । इस हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सजगता बरती जावे, तथा अंशदान की राशि न देने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्यवाही की जावे ।

4/ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में स्वीकृत जिला क्रीडा अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने तक जिले के वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक को पूर्ण कालिक रूप से जिला क्रीडा अधिकारी के पद पर पदस्थ करें । साथ ही जिले की खेल गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संपादन हेतु उनके अधिनस्थ टंकण आदि के कार्य हेतु एक नियमित लिपिक एवं भृत्य की भी पदस्थापना अनिवार्यरूप से की जावे ।

5/ विभिन्न खेलों के निर्धारित नियमों मे होने वाले संशोधनों एवं नवीन खेलों की जानकारी हेतु रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जाना है अतः इस हेतु अपने संभाग से खेलवार 02–02 व्यायाम शिक्षकों/ उत्कृष्ठ खिलाडी के रूप में नियुक्त कर्मचारियों/ शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों/अध्यापकों की जानकारी तत्काल संचालनालय को उपलब्ध करावें ।

6/ जिला एवं संभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालनालय में आयोजित राज्यस्तरीय कोर समिति की बैठक के दौरान संभागीय सहायक संचालकों से कोच, चयनकर्ता एवं रैफरी के पैनल गठित करने हेतु नाम प्राप्त किये गये थे । प्राप्त जानकारी के अनुसार गठित किये गये खेलबार पैनल की सूचियां आपकी ओर परिशिष्ट–1 अनुसार संलग्न भेजी जा रही है । इन सूचियों का पुनः सूक्ष्म परीक्षण कर लें एवं यदि जिलें एवं संभाग में पदस्थ खेल विशेष में दक्ष व्यक्ति का नाम छूट गया हो तो उसे पैनल में सम्मिलत करने का प्रस्ताव एक सप्ताह की समयावधि में अनिवार्यरूप से संचालनालय में भेजना सुनिश्चित करें । भविष्य में राज्य एवं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं हेतु चयनकर्ता, कोच एवं रैफरी इन्हीं पैनल में से बनाये जायेगें अतः यदि आपके संभाग अथवा जिले के किसी दक्ष व्यक्ति का नाम पैनल में सम्मिलत होने से वंचित रहता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

7/ विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों के चयन हेतु निर्धारित स्पष्ट मापदण्ड परिशिष्ट–2 पर संलग्न प्रेषित है । भविष्य में इन्हीं मापदण्डों के अनुसार विभिन्न खेलों में खिलाडियों का चयन कराया जाना सुनिश्चित करें अतः विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं में नियुक्त चयनकर्ताओं को नियुक्ति पत्र के साथ निर्धारित मापदण्डों की प्रति भी उपलबध कराया जाना सुनिश्चित करें । निर्धारित मापदण्ड के विपरीत चयन होने पर संबंधित अधिकारी एवं चयनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

8/ खेल महोत्सव के आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन कर इसे अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से खेल महोत्सव का आयोजन स्थल प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जाकर इसे माह जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जायेगा । खेल महोत्सव में भाग लेने वाले शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों की भोजन व्यवस्था आयोजन स्थल पर आयोजन कर्ता द्वारा की जायेगी ।

9/ चूंकि सत्र 2009–10 से शिक्षा सत्र 01 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है अतः प्रतिवर्ष ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालयों पर प्रचलित खेलों के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल से 10 मई तक कराया जावे । इन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाडियों के लिए आवश्यक व्यवस्थायें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओ में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश शालेय खेल दलों के चयनीकृत खिलाडियों का मेडिकल चेकअप, प्री–नेशनल कोचिंग केम्प के द्वारा अनिवार्यरूप से कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए, ताकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्थल पर होने वाले मेडिकल चेकअप में खिलाडी प्रतियोगिता से बाहर न हो सकें ।

11/ शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में दल प्रबंधकों की नियुक्ति वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जावे । एक अधिकारी को एक से अधिक दल का दल प्रबंधक नियुक्त न किया जावे । संभागीय दल के साथ नियुक्त प्रमुख प्रबंधक को निर्देशित करें कि संभागीय दल को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर प्रतियोगिता आयोजन के एक दिवस पूर्व अनिवार्यरूप से उपस्थित करावें तथा संभागीय दल के पात्रता प्रमाण पत्र एवं दल के साथ नियुक्त कोच एवं मैनेजर की सूची प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते ही संगठन सचिव कार्यालय में प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करें इसमें किसी प्रकार का बिलंब न करें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

12/ शालेय खेल गतिविधियों के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए । शालाओं,जिला एवं संभागीय कार्यालय में एकत्रित क्रीडा शुल्क की राशि का व्यवस्थित रख रखाव किया जाए एवं इसकी केशबुक पृथक से संधारित की जाए । इस हेतु संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी नियमों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

13/ शालेय खेलकूद गतिविधियों की नियमित रूप से मानीटरिंग हेतु निरीक्षण की व्यवस्था नियमित रूप से की जावे, मानीटरिंग कार्य हेतु एक प्रपत्र निर्धारित कर प्रतिमाह समीक्षा की जाए एवं प्रतिवेदन संचालनालय को भेजा जाए ।

14/ जो व्यायाम शिक्षक/व्यायाम अध्यापक एन0आई0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनसे आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेषित कर संचालनालय में भेजे जावे ।

15/ विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में आवास, भोजन एवं खेल मैदानों की तैयारी के संबंध में मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं विभिन्न स्तरों पर नियुक्त दल प्रबंधकों से प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में आयोजन उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त किये जाकर समीक्षा की जावे एवं पायी जाने वाली कमियों एवं त्रुटियों के संबंध में ठोस कार्यवाही की जाए । प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जिला स्तर पर पूर्व से ही ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर लिया जाए जिनमें आवास, शौचालय, बिजली, पानी एवं खेल मैदानों की सुविधायें उपलब्ध हो । इन विद्यालयों को सत्र के प्रारंभ से ही प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु तैयार कराना प्रारंभ कर दिया जावे जिससे प्रतियोगितायें निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप आयोजित हो सके ।

जिला स्तर की प्रतियोगिताओं का वार्षिक खेल पंचाग समस्त संकुल केन्द्रों को यथासमय भेजना सुनिश्चित किया जाए, ताकि समस्त विद्यालयों के छात्र/छात्राए जिला स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अवगत हो सके ।

16/ विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागिओं के पात्रता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर जमा किये जावे एवं आयोजन समिति द्वारा उनका भलिभांति परीक्षण किया जावे ऐसे किसी भी प्रतिभागी को प्रतियोगिता में भाग न लेने दिया जावे जिसके पात्रता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं अथवा अपूर्ण हैं । इस कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व आयोजक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला क्रीडा अधिकारी का होगा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि विभिन्न स्तरों पर चयनित दलों के खिलाडियों के पात्रता प्रमाण पत्र यथा समय प्रतियोगिता स्थल पर स्थापित कन्ट्रोल रूम में जमा कराये जाए एवं किसी भी दशा में पात्रता प्रमाण पत्र न होने अथवा अपूर्ण होने के बाबजूद भी खिलाडी को चयनित दलों में सम्मिलित न किया जाए ।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं संभाग स्तर पर आवश्यकतानुसार समस्त संकुल केन्द्रों के प्राचार्यो की बैठक आयोजित कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें । इसके विपरीत स्थिति पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(बी0आर0 नायडू)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश
भोपाल,दिनांक 26.9.09

पृ0क्रमांक/शा0शि0/ए/01/2009/498
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर शासन के पत्र क्र0 एफ 27–75/20–2/09 दिनांक 23.09.2009 मे दिये गये निर्देश के परिपालन में सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश